विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2025 के द्वितीय-सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>10(क) क्या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के जे०बी० गार्डन कालोनी पूर्वीदीन खेड़ा पारा में कितनी प्लाई फैक्ट्री संचालित है?</td><td>जनपद-लखनऊ के जे०वी० गार्डन कालोनी में कोई भी प्लाईवुड फैक्ट्री स्थापित नहीं है।
जनपद-लखनऊ में जे०बी० गार्डन कालोनी के उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 300 मीटर दूरी पर पूर्वीदीन खेड़ा पारा क्षेत्र में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय अभिलेखानुसार 03 प्लाईवुड फैक्ट्री स्थापित एवं संचालित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>इकाई का नाम व पता</th><th>स्थापना वर्ष</th><th>सहमति जल/वायु की वैधता अवधि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मैसर्स गौरव लैमिनेट्स प्रा0लि0, प्लाट नं0-1367 देवपुरपारा, राजाजीपुरम, लखनऊ।</td><td>2004</td><td>31.07.2028</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मैसर्स गुरुचरन माइकाइण्डिया प्रा0लि0, देवपुरपारा, लखनऊ।</td><td>2006</td><td>31.07.2028</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मैसर्स एच0ए0 इण्टरप्राइजेज, देवपुरपारा, राजाजीपुरम, लखनऊ।</td><td>1999</td><td>31.07.2028</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ख) उक्त फैक्ट्रियों का कितने दिनों का अनुबन्ध है?</td><td>उपरोक्त वर्णित 03 इकाईयों से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई अनुबन्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>(ग) क्या उक्त फैक्ट्रियों के धुओं से प्रदूषण फैलता है जिससे वहाँ के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है?</td><td>पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में स्माल ब्यायलर से जनित उत्सर्जन की मानकों की प्राप्ति हेतु उपरोक्त सन्दर्भित इकाईयों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ भूतल से 30 मी० ऊँची चिमनी स्थापित है। पूर्व में बोर्ड द्वारा उपरोक्त सभी 03 इकाईयों से सम्बद्ध चिमनियों के अनुश्रवण का कार्य किया गया। अनुश्रवण आख्याओं के अनुसार सभी इकाईयों में प्रदूषणकारी उत्सर्जक (पार्टिकुलेट मैटर) निर्धारित मानक 800 मिग्रा०/ नार्मल घन मी० के सापेक्ष मानकों के अनुरूप पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>इकाई का नाम व पता</th><th>अनुश्रवण दिनांक</th><th>मानक की प्राप्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मैसर्स गौरव लैमिनेट्स प्रा०लि0, प्लाट न0-1367 देवपुरपारा, राजाजीपुरम, लखनऊ।</td><td>08.05.2024</td><td>हॉ</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मैसर्स गुरुचरन माइकाइण्डिया प्रा०लि०, देवपुरपारा, लखनऊ।</td><td>08.05.2024</td><td>हॉ</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	<table><tr><td>3</td><td>मैसर्स एच०ए० इण्टरप्राइजेज, देवपुरपारा, राजाजीपुरम,लखनऊ।</td><td>19.10.2024</td><td>हॉ</td></tr></table>
(घ) क्या उक्त फैक्ट्रियों को वहाँ से शहर के बाहर स्थापित करायेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(ड) यदि हॉ, तो कब तक?	प्रश्न नहीं उठता।
(च) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अरूण कुमार

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उ0प्र0।